मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2013 को सम्पन्न उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की पंचम बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की पंचम बैठक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2013 को मुख्य सचिव सभागार, सचिवालय, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1	श्री एस.रामास्वामी, प्रमुख सचिव–वन एवं पर्यावरण तथा प्रमुख सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
2	श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3	डॉ. आर.बी.एस. रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	सदस्य
4	श्री एस.एस.शर्मा, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड	सदस्य
5	श्री आजम जैदी, अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)	सदस्य
6	श्री राजेन्द्र कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड	सदस्य
7	श्री एस.टी.एस. लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड	सदस्य
8	डॉ. एम.सी. जोशी, अपर सचिव–वित्त	विशेष आमंत्री
9	श्री मनोज चन्द्रन, अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन	विशेष आमंत्री
10	श्री सोबरन लाल, वन संरक्षक–वन पंचायत, कुमांऊ (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि)	–
11	श्री वीरेन्द्र सिंह, सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव	विशेष आमंत्री
12	श्री विजय कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा	सदस्य–सचिव

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा उपस्थित आमंत्रियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक आरम्भ की गई :–

कार्यसूची 5.1:

उत्तराखण्ड कैम्पा की दिनांक 04.10.2012 को आयोजित चतुर्थ संचालन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को सदस्यगणों के समक्ष अवलोकनार्थ रखा गया, जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कार्यसूची 5.2: दिनांक 04.10.2012 को सम्पन्न हुई चतुर्थ संचालन समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्याः–

दिनांक 04.10.2012 को सम्पन्न हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की चतुर्थ बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या का प्रस्तुतिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के समक्ष किया गया। अनुपालन के निम्नांकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देश/अनुमोदन प्रदान किए गए :–

1. संचालन समिति की चतुर्थ बैठक की कार्यसूची सं. 4.2: 1. पर वन विभाग स्तर पर संवेदनशील रेंजों हेतु 44 वाहन क्रय के अनुमोदन के साथ उक्त समस्त फील्ड वाहनों में Location Tracking System लगाकर मुख्यालय से जोड़ने के समिति के निर्देशों के क्रम में समिति को अवगत कराया गया कि उक्त कार्यवाही अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के स्तर पर गतिमान है, **जिस पर समिति द्वारा पुनः निर्देश दिए गए कि उक्त समस्त फील्ड वाहनों पर Location Tracking System लगाकर मुख्यालय से जोड़ने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर ली जाए।**

   (कार्यवाही : अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड)

2. संचालन समिति की चतुर्थ बैठक की कार्यसूची सं. 4.2: (2) पर कैम्पा फण्ड के उपयोग हेतु रेंज/फील्ड स्तर पर रेंज अधिकारी का खाता खुलवाए जाने तथा कैश भुगतान बन्द कर नियमानुसार चैक के माध्यम से भुगतान किए जाने के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश प्रभागों में रेंज अधिकारी के स्तर पर खाता खोला जा चुका है तथा चैक से भुगतान के सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि अधिकांश विभागीय कार्य जिन श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं उनका बैंक खाता खोलने में व्यवहारिक कठिनाई

है, जिस कारण चैक से भुगतान करने में दिक्कत आ रही है, जिस पर प्रमुख सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे मजदूरों का खाता खोला जा सकता है। इस हेतु उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की हैल्पलाइन नम्बर 1800–180–4167 e-mail: slbeuk@gmail.com तथा सहायक महाप्रबन्धक श्री भगवत सिंह का मोबाइल नम्बर–9456594003 उपलब्ध कराया गया जिसका उपयोग कर ऐसे मजदूरों का खाता खुलवाने का सुझाव दिया गया। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि रु. 2000/– से ऊपर की धनराशि का चैक से भुगतान का शासनादेश वर्ष 1982 का है। उसको रुपए की आज की Value के आधार पर लगभग रु. 34,000/– की सीमा तक संशोधन का प्रस्ताव शासन को उनके स्तर से प्रेषित किया गया है। उक्त पर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि वर्तमान में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में समस्त भुगतान e-payment के माध्यम से किए जाने हैं। इस परिप्रेक्ष्य में चैक से भुगतान की कोई भी सीमा प्रासंगिक नहीं है।

उपरोक्त के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः निर्देश दिए गए कि फील्ड स्तर पर समस्त रेंज अधिकारी के खाता खुलवाकर समस्त भुगतान (रु. 2000/– से छोटे सहित) चैक/e-payment के माध्यम से सम्बन्धित श्रमिक व कार्यदायी संस्था को किए जाएं।

(कार्यवाही : समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक/क्रियान्वयन अभिकरण–इकाई)

3. संचालन समिति की चतुर्थ बैठक की कार्यसूची सं. 4.2: (6) पर CUG Plan की चर्चा में समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि BSNL की connectivity व WIMAX आदि तथा विभाग में उपलब्ध network wireless आदि को ध्यान में रखकर complete forest network की स्थापना के प्रयास किए जाएं जो कि प्रभावी Anti-poaching network बनाने, अग्नि से सुरक्षा सहित वनों की सुरक्षा एवं विकास कार्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध हो सके तथा CUG के संयोजनों को पूर्व निर्धारित 3000 संख्या की सीमा तक वर्तमान में सीमित किया जाए।

(कार्यवाही : मुख्य वन संरक्षक,प्रशासन एवं आई.टी.)

4. संचालन समिति की चतुर्थ बैठक की कार्यसूची सं. 4.3: (2) पर सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन के स्तर से वन विभाग, उत्तराखण्ड में अधिप्राप्ति, वित्तीय Transactions व लेखा रखरखाव में अपेक्षित गुणवत्ता एवं सुधार लाने हेतु एक Diagnostic Study करवाए जाने व उसके आधार पर लेखा रखरखाव कार्य से जुड़े कार्मिकों की क्षमता विकास एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–7 के प्राविधानों को यथासम्भ Re-invent, Re-define कर अग्रेत्तर नीतिगत एवं क्रियान्वयन रणनीति बनाए जाने के समिति के निर्देशों की समीक्षा की गई।

समीक्षा में प्रमुख सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया कि वन विभाग का अभी तक वित्त विभाग के माध्यम से ऑडिट नहीं करवाया गया। पहली बार सैम्पल के रूप में दो वृत्तों का ऑडिट करवाया जा रहा है, जिसके आधार पर वन विभाग में लेखा रखरखाव का अध्ययन किया जाएगा।

इस क्रम में समिति द्वारा पुनः निर्देश दिए गए कि वन विभाग, उत्तराखण्ड में अधिप्राप्ति, वित्तीय Transactions व लेखा रखरखाव में सुधार लाने हेतु उपरोक्त Diagnostic Study तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–7 के प्राविधानों को यथासम्भ Re-invent, Re-define करने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए तथा उक्त हेतु वन विभाग स्तर से प्रस्ताव अविलम्ब प्रमुख सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाए। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उपरोक्त कार्य में पहले से विलम्ब हो चुका है, अतः उक्त Diagnostic Study के लिए Term of Reference (ToR) को उच्च प्राथमिकता पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बनाया जाय।

(कार्यवाही : अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

5. संचालन समिति की चतुर्थ बैठक की कार्यसूची सं. 4.3: 4 पर TALLY (Double Entry Accounting System) को अपनाने एवं CAMPA MIS (Management Information System) को Range Level तक functional बनाए जाने व विगत 2 वर्षों (APO 2010-11 एवं APO 2011-12) के लेखा की Tally में Voucher level Entry को उच्च प्राथमिकता पर समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों में Outsourcing के माध्यम से पूर्ण कराए जाने के समिति के निर्देशों के अनुपालन में समिति को अवगत कराया गया कि भू0सं0 उत्तरकाशी व रामनगर वन प्रभाग के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों के वर्ष 2010–11 व वर्ष 2011–12 के लेखा की Outsourcing से Tally में Voucher level Entry की जा चुकी है। वर्ष 2012–13 में की गई आन्तरिक लेखा परीक्षा में विगत 2 वर्षों (APO 10–11 एवं APO 11–12) की अवधि के कतिपय वन प्रभागों के लेखा एवं उक्त की Tally में प्रविष्टि में लेखा के Primary records

यथा vouchers एवं अन्य रजिस्टर में 4th level के बजट कार्यमदों को ठीक से न भरने के फलस्वरूप कुछ कार्यमदों में भिन्नता इंगित की गई है। उक्त का निराकरण एवं वित्तीय नियमानुरूप Tally software को customize करने तथा APO 2012–13 के सम्बन्ध में तदनुसार Tally में प्रविष्टि की कार्यवाही किए जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

उपरोक्त अनुपालन पर समिति द्वारा चर्चा किए जाने पर यह बिन्दु उभर कर आया कि विभाग स्तर पर कैम्पा के लेखा का पहले Single Entry System के तहत Manual basis पर vouchers एवं अन्य रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है एवं उक्त की विगत 2 वर्षों की Tally में Double Entry System में राज्य स्तरीय Tally Team द्वारा प्रभागीय लेखाकार के साथ प्रविष्टि की जा रही है जबकि लेखा के सपोर्टिंग अभिलेखों यथा–डी॰एल॰/बिल/Vouchers की Naration सहित सीधे Tally में प्रविष्टि करने पर कैश बुक व अन्य लेजर स्वतः Tally से Hard Copy में सृजित किए जा सकते हैं। Primary records के रखरखाव में त्रुटि होने एवं समयबद्ध पूर्ण न किए जाने के फलस्वरूप न केवल राज्य स्तरीय CAMPA account बनाने में विलम्ब होता है, बल्कि कैम्पा की निर्धारित भौतिक/वित्तीय प्रगति भी धीमी होती है।

उपरोक्त पर समिति द्वारा चर्चा उपरान्त निर्देश दिए गए कि Tally को रेंज स्तर तक Functional बनाते हुए समस्त प्राप्तियों व भुगतान के प्रमाणकों की Hard Copy के आधार पर Naration सहित सीधे Tally में प्रविष्टि कर Tally से कैशबुक व अन्य लेजर की Hard Copy सृजित कर उक्त का मासिक आधार पर रखरखाव किया जाए। इस हेतु रेंज स्तर पर Outsourcing से Tally व MIS में प्रशिक्षित मानव शक्ति की व्यवस्था की जाए। रेंज स्तर पर उक्त व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित होने तक, समस्त प्रभागीय/क्रियान्वयन अभिकरण स्तर पर लेखा के Primary records का त्रुटिरहित एवं समयबद्ध रखरखाव करते हुए Tally Software में नियमित रूप से प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही : समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक/कार्यान्वयन अभिकरण)

वन विभाग के वृत्त स्तर पर उक्त कार्य को support करने एवं समय–समय पर अनुश्रवण करने हेतु वृत्त स्तरीय MIS/Tally कार्मिक, जिसका कि CAMPA APO में प्राविधान किया गया है, का सदुपयोग करते हुए वन संरक्षक स्तर पर मासिक अनुश्रवण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही : समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड एवं वित्त नियंत्रक–वन विभाग)

6. संचालन समिति की चतुर्थ बैठक की कार्यसूची सं॰ 4.9: 5. (vi) पर समस्त Site Specific कार्य की Lat./Long. की reading CAMPA MIS में प्रविष्टि करने (2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 APO) तथा सम्पादित कार्यों के Photographs भी MIS में upload करने के निर्देशों के क्रम में समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2010–11 व वर्ष 2011–12 के APO के कार्यों की Lat./Long. की रीडिंग को कैम्पा के MIS में प्रविष्टि कराने का 70% से अधिक कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

उपरोक्त पर समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि माह अप्रैल, 2013 के अंत तक समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों के स्तर से वर्ष 2012–13 की सूचना सहित उक्त वांछित समस्त Lat./Long. reading की सूचना कैम्पा के MIS में प्रविष्टि करवा दी जाए तथा उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय स्तर से उक्त सूचना को भारत सरकार को प्रेषित की जाए ताकि एडहॉक कैम्पा से उत्तराखण्ड कैम्पा को वर्ष 2012–13 हेतु अवशेष धनराशि प्राप्त हो सके। उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रभागों को कैम्पा निधि से वर्ष 2013–14 के APO के सापेक्ष धनराशि की किश्त अवमुक्त न की जाए।

(कार्यवाही : समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक/कार्यान्वयन अभिकरण)

कार्यसूची –5.2: सोसाइटी मोड से विघटन कर उत्तराखण्ड कैम्पा प्राधिकरण के गठन का नोटिफिकेशन

समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (Ad-hoc CAMPA) के पत्रांक–1-20/2006-CAMPA दिनांक 15.02.2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा के सोसाईटी मोड में गठन एवं पंजीकरण किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–75/x-2-2010-7(6)/2004 दिनांक 31.08.2010 को निरस्त करते हुए सोसाईटी मोड में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा का विघटन कर उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या– 1922/x-2-2012-7(6)/2004 टी॰सी॰ दिनांक 08.11.2012 के माध्यम से उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) का गठन किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना के बिन्दु सं॰ 18 के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा के सोसाईटी मोड से निरस्तीकरण/विघटन से पूर्व उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा किये गये सभी कृत्य अथवा

कार्यवाही (सोसाइटी के रूप में किए गए कार्य) कानूनी गठन के संगत प्राविधानों के अंतर्गत समझे जायेंगे। सोसाईटी की सभी सम्पत्ति व देनदारियों के साथ मानव शक्ति सहित इस अधिसूचित प्राधिकरण अर्थात् उत्तराखण्ड कैम्पा में समाहित हो जायेगी।

कार्यसूची सं.–5.3: APO 2012–13 के क्रियान्वयन/प्रगति की अद्यावधिक स्थिति

समिति के संज्ञान में लाया गया कि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 के सापेक्ष क्रियान्वयन/प्रगति की उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS से दिनांक 09.03.2013 को सृजित Hard Copy के अनुसार वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि रू. 4394.42 लाख के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि रू. 1155.29 लाख है। उक्त अवमुक्त धनराशि में ऐसे वन प्रभाग जिनके स्तर से APO वर्ष 2010–11 व 2011–12 के कार्य के Lat/Long की सूचना की CAMPA के MIS में प्रविष्टि करना शेष है, उनको छोड़कर शेष सभी वन प्रभागों को उनके स्तर हेतु स्वीकृत APO 12-13 के सापेक्ष **CA व Others हेतु शतप्रतिशत** तथा NPV घटक की अन्य तालिकाओं (1.a,1.b,1.c,1.e) हेतु लगभग 50% से अधिक तथा सभी वन प्रभागों को **वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु शत प्रतिशत** धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

यह भी संज्ञान में लाया गया कि APO 2012-13 माह अक्टूबर, 2012 में अनुमोदित हुआ तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में इसको इस वर्ष से वित्तीय वर्ष के आधार पर क्रियान्वित किया जाना है।

समिति द्वारा क्रियान्वयन की उपरोक्तानुसार धीमी प्रगति को संज्ञान में लेते हुए खेद व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिए गए कि सभी सम्बन्धित स्तरों से CAMPA की विभिन्न गतिविधियों के समयबद्ध नियोजन/क्रियान्वयन आदि को सुदृढ़ करने के लिए समय–समय पर Review किया जाय।

(कार्यवाही : प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल/कुमांऊ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, समस्त वन संरक्षक/निदेशक, समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक/कार्यान्वयन अभिकरण)

कार्यसूची –5.4: वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 के संशोधन का अनुमोदन

समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में कैम्पा निधि के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाना है। बैठकों के कार्यवृत्त एवं पत्रों के माध्यम से जोन स्तर से अनुमोदित संशोधित APO 12-13 का प्रभागवार व कार्यमदवार Break-up कैम्पा कार्यालय में उपलब्ध कराने एवं उक्त की प्रभाग स्तर से कैम्पा MIS में विधिवत Site Specific प्रविष्टि किए जाने का अनुरोध किया गया। किन्तु इस क्रम में संशोधित APO की मात्र वन्य जीव जोन तथा प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत से समस्त राज्य का वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के अनुमोदित APO के अतिरिक्त शेष जोन स्तरों से उपरोक्तानुसार उक्त APO के संशोधन का प्रभागवार एवं कार्यमदवार Break-up बैठक के पूर्व तक कैम्पा कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त के क्रम में प्राप्त संशोधन के प्रस्तावों व अवमुक्त धनराशि का प्रभाग स्तर पर MIS में प्रविष्टि के आधार पर उपयोग तथा स्थल विशिष्ट के कार्यों को मुख्य रूप से शामिल करते हुए कार्यकारी समिति के दिनांक 06.02.2013 में हुए निर्णय के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अनुमोदित रु. 6000 लाख की धनराशि के APO 12–13 के संशोधन के प्रस्ताव को समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। **समिति द्वारा अवलोकन व चर्चा उपरान्त 60 फील्ड वाहनों को वर्ष 2013–14 के APO में शामिल करने के निर्देशों सहित तद्नुसार रु. 5640.00 लाख के संशोधित APO 2012-13 को अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निर्देश दिए गए कि उक्त को अवमुक्त धनराशि की सीमा तक APO की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाय।**

(कार्यवाही : समस्त क्रियान्वयन अभिकरण)

कार्यसूची –5.5: वर्ष 2013–14 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन

समिति के संज्ञान में लाया गया कि भारत सरकार, एडहॉक कैम्पा से वर्तमान तक उत्तराखण्ड कैम्पा को निम्नानुसार कैम्पा निधि प्राप्त हुई है :–

प्राप्त धनराशि (लाख रु. में)		
वर्ष 2009–10 एवं 2010–11	वर्ष 2012–13	योग
16440.20	9704.65	26144.85

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि बैठकों के कार्यवृत्त एवं पत्रों के माध्यम से जोन स्तर से अनुमोदित प्रस्तावित APO 13-14 का प्रभागवार व कार्यमदवार Break-up कैम्पा कार्यालय में उपलब्ध कराने एवं उक्त की प्रभाग स्तर से कैम्पा MIS में विधिवत Site Specific प्रविष्टि किए जाने का अनुरोध किया गया। किन्तु इस क्रम में मात्र गढ़वाल वृत्त का मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल से तथा प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत से समस्त राज्य का वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के अनुमोदित APO के अतिरिक्त अन्य जोन स्तरों से उक्त APO का प्रभागवार एवं कार्यमदवार Break-up बैठक के पूर्व तक कैम्पा कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त के क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि विगत तीन वर्षों के APOs के क्रियान्वयन के अनुभव तथा APO को वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्रियान्वयन करने के भारत सरकार के दिशा–निर्देशों एवं मा. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सम्बन्धी निर्देशों एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत चिन्हित स्थल विशिष्ट के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करते हुए कार्यकारी समिति की नवीं बैठक दिनांक 06.02.2013 में हुए निर्णय के क्रम में रु. 8430.00 लाख के नियोजन को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

उपरोक्त के आलोक में संचालन समिति द्वारा चर्चा उपरान्त वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्ययोजना (APO) को निम्नानुसार स्वीकृत किया :–

(धनराशि लाख रु. में)

1.NPV घटक	2.क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.संरक्षित क्षेत्र	4.अन्य (Others)	5. CAT Plan	6.River Training Works with CA	कुल योग
4756.20	1500.00	200.00	800.00	1588.80	100.00	8940.00

1. NPV (Net Present Value) घटक में नियोजनः–

(क) कार्यमद 1.a (Forest Protection, Infrastructure & Human Resource Development) के अंतर्गत कार्य

- गढ़वाल, कुमांऊ व वन्य जीव परिरक्षण संगठन में स्थल विशेष की आवश्यकता को देखते हुए क्रमशः 20, 15 व 10 वन रक्षक/वन्यजन्तु रक्षक चौकी के निर्माण हेतु रु. 6.00 लाख प्रति भवन की दर से रु. 270.00 लाख का प्राविधान।
- कार्यमद Support to Project Management (PMU) के अंतर्गत प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं व अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय हेतु क्रमशः रु. 8.50 लाख व रु. 5.00 लाख का प्राविधान।
- कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु रु. 30.00 लाख।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 के APO से हटाकर 2013–14 के APO में वन रेंजों हेतु 60 फील्ड वाहन (30 जीप तथा 30 कैम्पर) क्रय करने हेतु रु. 360.00 लाख का प्राविधान।

(ख) कार्यमद 1.b (Strengthning of Wildlife Management) के अंतर्गत कार्य

- बन्दर जनित समस्या निवारण हेतु डिडोली (चमोली) तथा छिन्ही (टनकपुर) में बन्दरों हेतु ट्रांजिट बाड़े/Rescue Centre के निर्माण हेतु प्रत्येक Centre के लिए रु. 100.00 लाख की दर से कुल रु. 200.00 लाख का प्राविधान।
- जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से Biodiversity Conservation हेतु रु. 32.00 लाख का प्राविधान।

(ग) कार्यमद 1.c (Soil & Water Conservation) के अंतर्गत देवदार तथा ओक वृक्षारोपण आदि का प्राविधान।

(घ) कार्यमद 1.d (Strengthning of Van Panchayats) के अंतर्गत कार्य

- प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के नियंत्रण व मार्गदर्शन में सम्बन्धित वन प्रभागों के माध्यम से वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल रु. 800.00 लाख का प्राविधान।

(घ) कार्यमद 1.e (Allied Activities including research/Environmental Services) के अंतर्गत कार्य

- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के कार्यालय में कार्यमद 1.e.2.7 Publicity Extention & Awareness हेतु रु. 4.00 लाख व कार्यमद 1.f.1.1 Operatonal Expenses हेतु रु. 1.00 लाख का प्राविधान।
- उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के माध्यम से कार्यमद 1.e.2.6 Development of Bamboo/Ringal & their products हेतु रु. 73.00 लाख का प्राविधान।
- कार्ययोजना (Working Plan) हेतु रु. 15.00 लाख।
- कार्यमद 1.e.2.9 Corpus for Forest Employee/Workers (Benevolent Fund) हेतु रु. 112.00 लाख का प्राविधान।
- कार्यमद 1.e.2.7 Publicity Extention & Awareness (प्रचार एवं प्रसार) हेतु रु. 40.00 लाख का प्राविधान।
- जैव विविधता संरक्षण विकास एवं अनुसन्धान हेतु रु. 100.00 लाख।
- कार्यमद Automation of Department & Strengthning of IT Cell & MIS/GIS Application हेतु रु. 50.00 लाख का प्राविधान।

उपरोक्त के अतिरिक्त NPV घटक में निम्न कार्यों/धनराशि का प्राविधान संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया :–

- वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हेतु रु. 50.00 लाख।
- राजाजी राष्ट्रीय पार्क हेतु रु. 442.00 लाख।
- NPV घटक के अंतर्गत उपरोक्त प्राविधान के उपरान्त तालिका 1.a, 1.b, 1.c, 1.e में जोन स्तर से नियोजन व अनुमोदन करने के लिए रु. 600.00 लाख मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल, रु. 600.00 लाख मुख्य वन संरक्षक–कुमांऊ तथा रु. 400.00 लाख प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के स्तर से APO 2013–14 में उनके अधीनस्थ प्रभागों में वचनबद्ध कार्यों के क्रियान्वयन में शामिल करने हेतु।
- धारचूला एवं जोशीमठ में एन्टी पोचिंग सैल को स्थापित करने का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करते हुए एवं राज्य एण्टी पोचिंग सैल का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित कर रु. 50.00 लाख का प्राविधान।

2. C.A.(Compensatory Afforestation) घटक में नियोजनः–

- न संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत Projects के सापेक्ष, भारत सरकार को मार्च, 2010 में 10 वर्षीय कैम्पा प्रोजेक्ट प्रेषित करने के समय के समस्त लम्बित Site Specific कार्यों को संतृप्त (saturate) करने हेतु क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत लगभग 2000 है0 अग्रिम मृदा कार्य एवं लगभग 3600 है0 वृक्षारोपण एवं उक्त हेतु पौध उगाने व गतवर्षों में किए गए वृक्षारोपण के अनुरक्षण हेतु कुल रु. 1500 लाख का प्राविधान।

3. P.A.(Protected Area) घटक में नियोजनः–

- अस्कोट वन्य जीव विहार हेतु रु. 100.00 लाख का प्राविधान
- गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क हेतु रु. 100.00 लाख का प्राविधान।

4. "Others Specified Activities" घटक में नियोजनः–

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत Site Specific Projects में Road Side Plantation, Gap filling Plantation एवं Dwarf Species Plantation का कार्य निर्धारित है। इस क्रम में 10 वर्षीय राज्य कैम्पा प्रोजेक्ट की स्वीकृति के समय तक के लम्बित वृक्षारोपण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने हेतु रु. 800.00 लाख का प्राविधान।

5. CAT Plan (Catchment Area Treatment) घटक में नियोजनः–

- कैट प्लान के क्रियान्वयन हेतु PMU के गठन, समुदाय आधारित माइक्रोप्लानिंग एवं Detailed Project Report (DPR) बनाने की धीमी प्रगति को संज्ञान में लेते हुए समिति द्वारा कुल रु. 1588.80 लाख का निम्नानुसार कैटप्लानवार प्राविधान अनुमोदित किया गया तथा अपेक्षा की गई कि उक्तानुसार समयबद्ध नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

क्र.सं.	कैट प्लान का नाम	प्रभाग का नाम	कुल प्राविधान (लाख रु.)		
			प्रभाग स्तर पर	2% M&E कैम्पा कार्यालय	योग
1	लाता–तपोवन	नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क	220.62	4.28	224.90
		योग :–	**220.62**	**4.28**	**224.90**
2	तपोवन विष्णुगाड़	नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क	36.18	0.74	36.92
		केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग	69.74	1.42	71.16
		अलकनन्दा भू0सं0 प्रभाग	293.10	5.67	298.77
		बद्रीनाथ वन प्रभाग	159.12	3.23	162.35
		योग :–	**558.14**	11.06	**569.20**
3	फाटा–ब्यूंग	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग	100.18	2.04	102.22
		रुद्रप्रयाग वन प्रभाग	76.07	1.54	77.61
		योग :–	**176.25**	**3.58**	**179.83**
4	सिंगोली–भटवाड़ी	रूद्रप्रयाग वन प्रभाग	172.72	3.35	176.07
		योग :–	**172.72**	**3.35**	**176.07**
5	श्रीनगर एच.ई.पी.	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग	96.66	1.96	98.62
		गढ़वाल वन प्रभाग	56.80	1.19	57.99
		सिविल सोयम पौड़ी	82.81	1.68	84.49
		नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	193.76	3.94	197.70
		योग :–	**430.03**	**8.77**	**438.80**
		कुल योग :–			**1588.80**

6.River Training Works with CA घटक में नियोजनः–

विभिन्न नदियों यथा–शारदा नदी आदि से उप खनिजों के चुगान के सापेक्ष एडहॉक कैम्पा में जमा क्षतिपूरक राशि का सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा नोडल अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार से Reconcilation की कार्यवाही किए जाने के निर्देशों के साथ रिवर ट्रेनिंग कार्य व उक्त सम्बन्धी क्षतिपूरक वृक्षारोपण के कार्यों हेतु समिति द्वारा रु. 100.00 लाख के प्राविधान को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त का नदी एवं प्रभागवार एवं कार्यमदवार विवरण अपेक्षित है।

(कार्यवाही : सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी /कार्यान्वयन अभिकरण /वन संरक्षक /मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण)

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि अन्य कोई Site Specific कार्य जिसके लिए एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार में धनराशि जमा कराई जा चुकी है, उक्त के सापेक्ष कार्यों के प्रस्ताव के विवरण का नियोजन सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उक्त का नोडल अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार से Reconcilation करने की कार्यवाही की जाए ताकि उक्त धनराशि को भारत सरकार से अवमुक्त करवाकर समिति से कार्यों का APO में अनुमोदन उपरान्त क्रियान्वयन किया जा सके।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित नियोजन को शामिल करते हुए वर्ष 2013–14 की रु. 8940.00 लाख की धनराशि की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अधिकांश वन प्रभागों का जोन स्तर से अनुमोदित कार्यमदवार Break-up अभी प्राप्त न होने के क्रम में तद्नुसार प्रभागवार एवं कार्यमदवार Break-up प्राप्त होने पर APO 13-14 को समेकित कर भारत सरकार की राज्य कैम्पा Guidelines एवं समय–समय पर उनके स्तर से दिशा निर्देश के अनुरूप एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत समयबद्ध Site Specific कार्यों को समावेश करते हुए जारी करने के समिति द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही : समस्त कार्यात्मक प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/समस्त वन संरक्षक/निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा तथा समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक/कार्यान्वयन अभिकरण)

बन्दर जनित समस्या निवारण हेतु डिडोली (चमोली) तथा छिन्ही (टनकपुर) में बन्दरों हेतु ट्रांजिट बाड़े/Rescue Centre के निर्माण पर मा. सांसद, राज्यसभा श्रीमती मेनका गांधी के पत्र पर भारत सरकार से प्राप्त हुए निर्देशों एवं बन्दरों द्वारा वृहद स्तर पर राज्य के कृषकों के उद्यान व कृषि फसलों के नुकसान किए जाने पर चर्चा हुई जिसमें बन्दर जनित उक्त समस्या के मद्देनजर मा. सांसद, राज्यसभा श्रीमती मेनका गांधी द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण करते हेतु उक्त ट्रांजिट बाड़े/Rescue Centre के निर्माण के लिए हिमांचल एवं उत्तरप्रदेश में उक्त समस्या के निवारण के मॉडल के बजाए तमिलनाडु के मॉडल को उपयोगी बताया गया एवं समिति को अवगत कराया गया कि भारतीय वन्य जीव संस्थान को उपरोक्त के सम्बन्ध में Study सौंप दी गई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के एक्सपर्ट को शामिल करते हुए SoPs 15 दिन के अन्दर तैयार करने तथा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के स्तर से उक्त के सम्बन्ध में विधिक व तकनीकी नोट भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने के समिति द्वारा निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही : प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, उत्तराखण्ड)

संचालन समिति द्वारा APO 2013–14 के क्रियान्वयन में निम्नानुसार प्रमुख बिन्दुओं को अनुपालन हेतु Re-iterate किया –

(i) समस्त प्रस्तावित कार्यों की Site Specific Planning कर CAMPA MIS में समयबद्ध प्रविष्टि सभी सम्बन्धित क्रियान्वयन स्तरों से सुनिश्चित किया जाना।

(ii) समस्त Supervisory Officers (वन संरक्षक/निदेशक एवं उच्चतर क्षेत्रीय/जोनल अधिकारी) एवं समस्त कार्यात्मक (Functional) मुख्य वन संरक्षकों/अपर प्रमुख वन संरक्षकों/प्रमुख वन संरक्षकों के द्वारा उनके नियंत्रणाधीन इकाईयों अथवा उनसे सम्बन्धित गतिविधियों का समयबद्ध समन्वयन/मार्गदर्शन दिया जाना तथा समय–समय पर फील्ड स्तर पर सम्पादित कार्यों का Primary Level Supervisison सुनिश्चित किया जाना। मार्गदर्शन/निरीक्षण टिप्पणी, कैम्पा मुख्यालय सहित अपने उच्चाधिकारियों को भी अवश्य प्रेषित किया जाय।

(iii) Achievements की प्रगति को CAMPA MIS एवं TALLY में समयबद्ध रूप से प्रविष्टि किया जाना, जिसके आधार पर CAMPA मुख्यालय द्वारा APO में स्वीकृत प्राविधान के अनुसार आगामी किश्त जारी की जायेगी।

(iv) मार्च, 2014 तक सम्पादित किए जाने वाले कार्यों का यथार्थवादी Site Specific नियोजन किया जाय तथा ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया जाय जिसकी देनदारी APO 13-14 में मार्च, 2014 के अंत तक पूर्ण न की जा सके।

(v) समस्त Site Specific कार्य की Lat/Long. की reading CAMPA MIS में प्रविष्टि की जाय (2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14) तथा सम्पादित कार्यों के Photographs भी MIS में upload किए जाएं अन्यथा भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में कैम्पा निधि की आगामी किश्त सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण को जारी नहीं की जाएगी।

(vi) समस्त फील्ड क्रियान्वयन अभिकरण में स्वीकृत Site Specific APO कार्यों के सापेक्ष कैम्पा निधि के उपयोग हेतु रेंज स्तर पर कैम्पा का खाता खोला जाय तथा कैश भुगतान बन्द कर नियमानुसार चैक/e-payment के माध्यम से भुगतान कराया जाय। प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए internal control एवं supervision हेतु समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही : उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त अधिकारीगण एवं समस्त कार्यान्वयन अभिकरण व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची –5.6: सोसाइटी मोड में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा का वित्तीय वर्ष 2012–13 में दिनांक 01.04.2012 से 08.11.2012 तक किए गये कार्यों की आन्तरिक लेखा परीक्षा की स्थिति :–

समिति को अवगत कराया गया कि सोसाइटी मोड में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा का विघटन कर उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं॰ – 1922/x-2-2012-7(6)/2004 टी॰सी॰ दिनांक 08.11.2012 के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा का गठन किया गया है। उपरोक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2012–13 में उत्तराखण्ड कैम्पा के सोसाइटी मोड के कार्यकाल (दिनांक 01.04.2012 से 08.11.2012) की Balance sheet तैयार करने हेतु आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य मसूरी वन प्रभाग को छोड़कर शेष पूर्ण किया जा चुका है। मसूरी वन प्रभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षा के कार्य के साथ–साथ Balance sheet को अन्तिम रूप दिए जाने का कार्य प्रगति पर है।

सोसाइटी मोड में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा का वित्तीय वर्ष 2012–13 में दिनांक 01.04.2012 से 08.11.2012 तक किए गये कार्यों की आन्तरिक लेखा परीक्षा किए जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची –5.7: उत्तराखण्ड कैम्पा की Concurrent Monitoring & Evaluation की अद्यावधिक स्थिति :–

समिति को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (Bidding) उपरान्त सूचीबद्ध किए गए 3 संस्थाएं (Institutional Consultants) एवं 5 व्यक्तिगत सलाहकारों के माध्यम से वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के निष्पादित कार्यों में से Reprsentative Sampling कर क्रमशः 37 एवं 30 वन प्रभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्यों की Third Party Concurrent Monitoring & Evaluation का कार्य कराया जा चुका है। अभी तक प्राप्त समस्त Concurrent Monitoring & Evaluation रिपोर्ट को उत्तराखण्ड कैम्पा की Website (http://ukcampa.org) पर रखा गया है तथा सभी सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाईयों एवं वन विभाग के उच्चाधिकारियों को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि वर्ष 2012–13 के कार्यों के मूल्यांकन व अनुश्रवण हेतु उक्त सभी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत सलाहकारों से पुनः Agreement हेतु सहमति मांगे जाने पर 1 संस्था एवं 4 व्यक्तिगत सलाहकारों के द्वारा पूर्व निविदा के नियम व शर्तों पर सहमति दिए जाने पर Agreement निष्पादित किए जा चुके हैं। तद्नुसार वर्ष 2012–13 के कार्यों की Third Party Concurrent Monitoring & Evaluation का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा 2012–13 के कार्यों की Third Party Concurrent Monitoring & Evaluation का कार्य नियमानुसार करवाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची –5.8: मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 हेतु कैम्पा निधि से रु॰ 4.00 करोड़ देने के सम्बन्ध में :–

समिति को अवगत कराया गया कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं॰ 2227/x-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10.12.2012 के माध्यम से **वन क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा जानमाल की क्षति की दशा में मुआवजा के रूप में देय अनुग्रह राशि (आर्थिक सहायता) की दरों को पुनःरीक्षण एवं मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 का प्रख्यापन किया गया है।** इसी क्रम में वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं॰ 2228/x-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10.12.2012 के नियम–5(2) की पूर्ति के लिए उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा से दिनांक 01.01.2013 को पत्रावली में स्वीकृति प्राप्त होने पर रु॰ 4.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 में NPV घटक में 1.b.3 मानव वन्य जीव संघर्ष के अंतर्गत कार्यमद 1.b.3.8a Immediate payment of ex-gratia in sensitive divisions by DFOs (Human Death Cases) में प्राविधानित धनराशि रु॰ 86.50 लाख तथा कार्यमद 1.b.3.8b Immediate payment of ex-gratia in sensitive divisions by DFOs (Human Injury Cases) में प्राविधानित धनराशि रु॰ 13.50 लाख में से नवम्बर, 2012 तक उक्त मदों में वन प्रभागों के स्तर से व्यय की गई धनराशि को घटाते हुए शेष समस्त धनराशि को संशोधित APO 2012-13 में से हटा दिया गया है। **उक्त पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**

कार्यसूची –5.9: **वनाग्नि दुर्घटना रोकने हेतु अनुदान सं.–27 की वित्तीय स्वीकृति से प्रतिपूर्ति के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में प्रभागों को कैम्पा निधि से धनराशि देने के सम्बन्ध में :–**

समिति को अवगत कराया गया कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं.–1218/x-2-2012-12(27)2012 दिनांक 27.06.2012 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन ने अपने पत्रांक–नि. 1675/3–2 दिनांक 02 मार्च, 2013 में उल्लेख किया है कि **वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट पारित न होने की स्थिति में यह उचित होगा कि शासन द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत कैम्पा निधि के अंतर्गत वनाग्नि सुरक्षा हेतु वर्तमान में लगभग रु. 300 लाख की व्यवस्था रख दी जाए तथा बाद में अवमुक्त, शासन द्वारा स्वीकृत बजट के समतुल्य किया जाय क्योंकि तब तक शासन द्वारा बजट स्वीकृत हो जायेगा।** यह भी उल्लेख किया है कि **कैम्पा निधि से उक्त धनराशि वनाग्नि सुरक्षा हेतु आवंटित तो की जा सकती है, परन्तु विभागीय बजट विभिन्न साख–सीमा व कोषागार मदों में प्राप्त होने से उसे कैम्पा निधि को लौटाने में कुछ तकनीकी कठिनाई होगी,** पर समिति द्वारा चर्चा की गई एवं निर्देश दिए गए कि–धनराशि को कैम्पा निधि से उधार लेकर बजट साख–सीमा से लौटाने के तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जाय व यदि लौटाने की प्रक्रिया में कोई कठिनाई है तो उसका समाधान वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सलाह में निकालकर प्रक्रिया प्रारम्भ कर ली जाए तथा उपरोक्त कैम्पा निधि को ब्याजमुक्त राज्य सरकार पर उधार माना जाय तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने पर तुरन्त उत्तराखण्ड कैम्पा को धनराशि वापस की जाय तथा उधार पर कैम्पा को ब्याज छूट स्वीकृत किए जाने का शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त समिति द्वारा रु. 300.00 लाख उक्त हेतु पारित बजट के समतुल्य अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन से प्रस्ताव प्राप्त कर धनराशि कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि से उपरोक्तानुसार अवमुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी–उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची –5.10: **चतुर्थ संचालन समिति बैठक के निर्देशों के क्रम में आगामी वर्षों में अर्जित ब्याज के मद्देनजर उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से प्रस्तावित 135 वाहनों के क्रय की संख्या के संशोधन के सम्बन्ध में:–**

समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से फील्ड वाहन क्रय किए जाने के क्रम में आगामी वर्षों में कैम्पा निधि पर प्रतिवर्ष अर्जित होने वाले अनुमानित ब्याज एवं उसके सापेक्ष होने वाले अनुमानित व्यय के आकलन के उपरान्त प्रस्तावित 135 वाहनों के क्रय की संख्या को संशोधित करने हेतु चतुर्थ संचालन समिति बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में तद्नुसार आकलन के आलोक में APO 2012-13 के सापेक्ष वन रेंजों हेतु 60 फील्ड वाहन (30 जीप तथा 30 कैम्पर वाहन) क्रय करने को तथा **वित्तीय वर्ष 12–13 में कम समय शेष होने के क्रम में उक्त को वर्ष 2012–13 के संशोधित APO में से हटाकर वर्ष 13–14 के APO में शामिल करने को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।** तद्नुसार कार्यसूची सं. 5.4. पर तथा कार्यसूची सं. 5.5 पर क्रमशः अनुमोदित संशोधित APO 2012-13 एवं प्रस्तावित APO 2013-14 में संशोधन कर लिया जाय।

(कार्यवाही : अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची –5.11: **प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड के द्वारा कैम्पा निधि का Performance Audit :-**

समिति के संज्ञान में लाया गया कि कैम्पा फण्ड्स का अप्रैल, 2006 से मार्च, 2012 तक का All India Performance Audit करने के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्णय को प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड ने अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक–PA-CAMPA/2012/01 दिनांक 10.09.2012 के माध्यम से सूचित करते हुए माह सितम्बर, 2012 से दिसम्बर, 2012 के मध्य अपनी ऑडिट टीम द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा का Performance Audit कराया गया जिसकी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 01.03.2013 को उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से प्राप्त हुई है। उक्त ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा हेतु Draft reply दिनांक 06.03.2013 को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के केन्द्रीय कार्यालय में दिनांक 07.03.2013 को draft

reply के साथ अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा चर्चा की जा चुकी है। उक्त ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पर विभागीय आख्या को राज्य सरकार के स्तर से भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है।

उक्त के क्रम में श्री आजम जैदी, अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पर उनके स्तर से draft reply प्रेषित किया जा चुका है। राज्य सरकार की ओर से reply प्रेषित किया जाना है।

समिति द्वारा C & AG की **उपरोक्त** ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पर वन विभाग की ओर से राज्य सरकार को reply भेजने की अपेक्षा की गई, ताकि राज्य सरकार स्तर से समयान्तर्गत भारत सरकार को जवाब प्रेषित किया जा सके।

(कार्यवाही : प्रमुख सचिव–वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुः–

कार्यसूची –5.12 उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि से फील्ड वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में :–

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत फील्ड स्तर पर परिणामयुक्त मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के कार्य को गति प्रदान करने एवं प्रभावी बनाने हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं विभागीय सचिव सहित उच्च स्तर के अधिकारियों को फील्ड वाहन (यथा स्कॉर्पियो अथवा समतुल्य) वाहन उपलब्ध कराने हेतु समिति द्वारा चर्चा की गई कि अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराए जाने की नीति के रूप में निर्गत शासनादेश सं॰ 65/ix-1/2013/215/2011 दिनांक 17 जनवरी, 2013 में वाहनों को प्रमुख रूप से Outsourcing से उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग, प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों की भांति वनों की सुरक्षा की संवेदनशीलता के मद्देनजर Outsourcing के वाहनों का आरक्षित व संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश जोखिमभरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में वनों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग की भांति उक्त फील्ड वाहन क्रय करने एवं उपरोक्त इंगित अधिकारियों को उपलब्ध कराने की समिति द्वारा **सैद्धान्तिक सहमति** प्रदान की गई तथा उपरोक्त फील्ड वाहन कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से क्रय किए जाने के क्रम में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा, इस क्रम में उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि से प्रथम चरण में उपरोक्त 6 फील्ड वाहन DGS&D की प्रचलित दरों पर क्रय करने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सहित समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं शासन स्तर पर उक्त हेतु वृहद नीति तथा तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही : प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची –5.13 लम्बित क्षतिपूरक वनीकरण (CA)/Others (अन्य) के कार्यों को पूर्ण किया जाना :–

श्री आजम जैदी, अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, सदस्य–संचालन समिति द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष निर्धारित स्थल विशिष्ट के लम्बित क्षतिपूरक वनीकरण (CA)/Others (अन्य) के कार्यों को समयबद्ध रूप से किए जाने हेतु उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं व सुझावों पर समिति निम्नांकित अनुसार संज्ञानित हुई :–

- उपरोक्त समस्त लम्बित कार्यों को भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2013–14 तक समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना है।
- कई Site Specific कार्यों [**क्षतिपूरक वनीकरण** (CA)/Others (अन्य)] हेतु पूर्व में भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत Approved Project में वर्णित site वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं अथवा उन Sites में वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
- क्षतिपूरक वृक्षारोपण व Others के अंतर्गत पूर्व दरों पर कुल जमा धनराशि सीमित है, जबकि वर्तमान में Wage rate बढ़ने की वजह से एवं उपरोक्तानुसार Approved Project में वर्णित Sites वर्तमान में उपलब्ध न होने अथवा उन Sites

में वृक्षारोपण आवश्यक न होने के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण/Others के वृक्षारोपण हेतु पूर्व निर्धारित मानकों/प्रति हैक्टेयर पौध रोपण की संख्या के Model/Specification को बदलने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि ऐसे समस्त लम्बित Site Specific works को *सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी /वन संरक्षक/निदेशक* द्वारा मौका निरीक्षण कर Plantation Model को Sites की उपलब्धता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रख यथार्थवादी बनाते हुए नीतिगत निर्णय एवं तदनुसार समयबद्ध रूप से Saturate किया जाए तथा पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2000 पौध प्रति है0 के नियोजन को उपलब्ध धनराशि के अंतर्गत स्थल विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पुर्ननियोजन कर लिया जाय।

इसी क्रम में समिति द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में निर्धारित Sites किन कारणों से उपलब्ध नहीं हैं एवं यदि नियत स्थलों को बदलना है तो नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर उसकी पूर्वानुमति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के केन्द्रीय कार्यालय, लखनऊ से प्राप्त कर ली जाए जिस पर श्री आजम जैदी द्वारा सहर्ष सहमति व्यक्त की गई।

(कार्यवाही : नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

अध्यक्ष संचालन समिति तथा सभी सदस्यों के प्रति बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अपना बहुमूल्य समय उपलब्ध कराने तथा अपने मूल्यवान अनुभव एवं ज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की पंचम बैठक सम्पन्न हुई।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–
संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन
प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

5 मन्दिर मार्ग, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2761077 ई–मेल: ceoukcampa@gmail.com,
Website : www.ukcampa.org

पत्रांक– 76 /13–2(5)/2012–13 दिनांक, देहरादून, 30/04/2013

प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. वन मंत्री जी एवं उपाध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. वित्त मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा. नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. नियोजन मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।

30/04/13
(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:– 76 (1)/13–2(5)/2012–13 दिनांकित।

प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।

5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (मध्य क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय–सैक्टर–एच, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

30/04/13

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 76 (2)/13–2(5)/2012–13 दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. वन महानिरीक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी–एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड।
9. अनुभाग अधिकारी, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

30/04/13

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।